

भाग— ॥

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव राज्य क्रम सं. FP/UP/RAIL/41878/2019

7	परियोजना / स्कीम का स्थान	
(i)	राज्य / संघ शासित क्षेत्र	उत्तर प्रदेश राज्य
(ii)	जिला	गाजीपुर
(iii)	वन प्रभाग	सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजीपुर
(iv)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेन में)	6.50572 हेक्टे
(v)	वन का कानूनी विवरण	संरक्षित वन
(vi)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणी वार वृक्षों की परिणामना (संलग्न की जाय) सिंचाई / जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ0आर0एल0-4 मीटर भी संलग्न किया जाय	09 वृक्ष विवरण संलग्न है।
(vii)	इरिगेशन का इनत्व	0.1
(viii)	भूकरण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	समतल एवं उपजाऊ वन भूमि होने के कारण वानस्पतिक उपज (धास / झाड़ियों) के फलस्वरूप न्यूनतम संवेदनशील है।
(ix)	वनेतर प्रयोग के लिये प्रस्तावित रील की वन सीमा	राष्ट्रीय राजमार्ग व रेल मार्ग के किनारे की भूमि से अनुमानित दूरी संरक्षित घोषित है। प्रस्तावित वनेतर प्रयोग की भूमि संरक्षित वन क्षेत्र से लगी है। नहीं
(x)	वया फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यासण, जैव मण्डल, रिजर्व, वाघ रिजर्व, हाथी, कोरिडोर आदि का भाग है (यदि हाँ क्षेत्र का व्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियाँ अनुबन्धित की जाय)	यदि हाँ / तो तत्संबंधित व्यौरा है
(xi)	वया क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिगत की दुर्लभ / रेकिटापन / विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती हैं।	नहीं
(xii)	वया कोई सुरक्षित पुरातात्त्वीय / पारस्परिक स्थल / रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है तो तत्संबंधित व्यौरा संक्षक प्राधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, दे।	नहीं
8	उपरोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम-2 से प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं तो जाँचे गये विकल्प के व्यौरा के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	न्यूनतम है।
9	वया अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया है (हाँ / नहीं) यदि हाँ तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित का व्यौरा है। वया उल्लंघन अभी भी चल रहे हैं।	हाँ एव-2 केस, दण्डात्मक एन0पी0वी0 व्याज सहित
10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का व्यौरा	
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिधारित वनेतर क्षेत्र / अवक्रमित वन क्षेत्र आसपास के वन से स्थित दूरी भव्यण्डों की संख्या प्रत्येक भव्यण्ड का आकार	संलग्न है।
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिधारित वनेतर क्षेत्र / अवक्रमित वन क्षेत्र आसपास की वन सीमाओं को दर्शाता है	संलग्न है।
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी समय अनुसूची लागत दौँचा आदि	संलग्न है।
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय	49,94,887.00
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिधारित क्षेत्र की उपयोगिता के बारे में और प्रवन्धकीय दृष्टिकोण के संक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय)	संलग्न है।
11	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की विशेषता: उपर्युक्त कालम -7, 8 व 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुये (संलग्नक करें)	संलग्न है।
12	विभाग / जिला प्रोफाइल	
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	337700 हेक्टे
(ii)	जिला का वन क्षेत्र	121 हेक्टे
(iii)	मासितों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया वन क्षेत्र	15 मासित, 120.36224 हेक्टे
(iv)	1980 से जिला / प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	
(क)	दण्ड के रूप क्षतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	लागू नहीं।
(ख)	वनेतर भूमि पर	7.7659 हेक्टे
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण से हुई प्रगति	
(क)	वन भूमि पर	लागू नहीं।
(ख)	वनेतर भूमि पर	7.7659 हेक्टे
13	प्रस्ताव की स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	विकास कार्यों हेतु आवश्यक न्यूनतम संरक्षित वन भूमि का वनेतर कार्यों के प्रयोग हेतु संस्तुति की जाती है। इसके क्रियान्वयन के फलस्वरूप पर्यावरणीय परिस्थितिक क्षति लगभग शून्य है।

दिनांक : २५-०२-२०२१।

स्थान : गाजीपुर

हस्ताक्षर
प्राधिकरण विवेदक
सरकारी मोहर
संलग्नक वानिकी प्राप्ति
गाजीपुर

annexure (tasneef)